

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 51/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/105

1. मन्जीत कुमार पुत्र दयानन्द उम्र 30 साल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....वादी

बनाम

1. दयानन्द पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. मन्जू पुत्री दयानन्द पत्नी भूपेन्द्र जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल आबाद हसास खुर्द तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी हरि0
3. नरपाल पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. चरण सिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. रूकमा पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. रणजीत पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. बाई पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. राजेन्द्र पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. विकास पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
10. अमित कुमार पुत्र रोतास जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. कुरड़ाराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



12. धनसिंह पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
13. बुद्धराम पुत्र हरसहाय जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
14. रामचन्द्र पुत्र हरसहाय जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
15. सुशीला पत्नी शमशेर सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
16. भूपेन्द्र चौधरी पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
17. मनोज कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुहाड़वास जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
19. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भिरं जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
20. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत- घोषणामक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

दिनांक:- 12/5/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 के खाता स० 20 के ख० न० 40 रकबा 03 है० ख० न० 41 रकबा 1.91 है० ख० न० 387 रकबा 0.01 है० ख० न० 388 रकबा 5.91 है० ख० न० 702/41 रकबा 1.06 है० कुल किता 5 कुल रकबा 8.92 है० की खातेदारी वादी के दादा व खेमाराम पुत्र कालुराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 के खाता स० 205 के ख० न० 269 रकबा 0.65 है० ख० न० 384/7 रकबा 0.12 है० ख० न० 317 रकबा 1.25 है० ख० न० 318 रकबा 1.49



उपरोक्त अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

है० ख० न० 319 रकबा 1.58 है० ख० न० 323 रकबा 1.35 है० ख० न० 380 रकबा 1.66 है० ख० न० 381 रकबा 0.11 है० ख० न० 384 रकबा 1.60 है० ख० न० 386 रकबा 2.40 है० ख० न० 387 रकबा 1.13 है० ख० न० 388 रकबा 0.74 है० ख० न० 389 रकबा 0.70 है० ख० न० 729/310 रकबा 1.24 है० कुल किता 14 कुल रकबा 16.02 है० के खातेदार कास्तकार हरसाराम, खीवाराम पुत्रान कालुराम हिस्सा 1/2, रामजीलाल पुत्र मोटु हिस्सा 1/4, गौरा बेवाह प्रहलाद, धनसिंह पुत्र प्रलाद हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है खीवाराम पुत्र कालुराम वादी का दादा है इस प्रकार उक्त भूमि वादी की पैत्रक है।

3. यह कि वादी व प्रति० स० 1 से 9 के हकपूर्वाधिकारी खेमाराम फौत होने पर नामान्तरण स० 429 व 431 के जरिये उनके वारिसान प्रति० स० 1 व 3 से 9 के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 में दर्ज है इस प्रकार उक्त भूमि वादी की पैत्रक भूमि है जिसमें वादी का भी प्रति० स० 1 के साथ हिस्सा है वादी का प्रतिवादी के नाम से दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा है क्योंकि प्रति० स० 1 दयानन्द के वादी पुत्र व प्रतिवादी दो पुत्री है इस प्रकार से इस भूमि में वर्तमान में जो प्रति० स० 1 के नाम से दर्ज है उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का 1/3 व प्रति० स० 1 का 1/3 व प्रति० स० 2 का 1/3 हिस्सा है वादी अपने हिस्से की भूमि को प्रति० स० 1 के साथ संयुक्त रूप से कास्त कर रहा है लेकिन वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं होने की वजह से प्रति० स० 1 उक्त पैत्रक भूमि को बेचान व खुर्द बुर्द करने की फीराक में है इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम से घोषणा करवाने का अधिकारी है इसलिए अपने अधिकारों की सुरक्षा करवाने हेतु उक्त वाद घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वादी अपनी पैत्रक भूमि में अपना हिस्सा प्रति० स० 1 के साथ पिछले 15 वर्षों से कास्त कर रहा है लेकिन भूमि की खातेदारी प्रति० स० 1 अकेले के नाम से दर्ज है तथा प्रति० स० 1 की आयु भी अधिक हो चुकी है उसको सोचने समझने की शक्ति भी ज्यादा नहीं है इसलिए वह बहुत जल्दी ही लोगों के बहकावे में आ जाता है तथा पैत्रक भूमि को सम्पूर्ण का बेचान करने की धमकी देना शुरू कर दिया है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पैत्रक होने से वादी का भी प्रति० स० 1 व 2 के साथ बराबर बराबर हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है तथा वंशावली अनुसार हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स० 202 के हाल ख० न० 387, 388, 40, 41, 702/41 कुल किता 5 कुल रकबा 8.92 है० है जिसमें प्रति० स० 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा तथा इसी प्रकार खाता स० 283 हाल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल

उपखण्ड अधिकारी काना
जिला मुन्गु (राज.)

ख० न० 269, 317, 318, 319, 323, 680, 681, 684, 686, 287, 688, 689, 729/310, 880/284 कुल किता 14 कुल रकबा 16.02 है० में प्रति० स० 1 के नाम 1/16 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा यानि की 1/48 हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादी अपने नाम से करवाने का अधिकारी है तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि प्रति० स० 1 गत माह से गलत रिकार्ड की आड़ में पैत्रक भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहा है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रति० स० 1 को जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है यदि प्रति० स० 1 दौराने वाद भूमि को खुर्द बुर्द कर देता है तो वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
6. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि पैत्रक होने से वादी का जन्म से ही उसमें प्रति० स० 1 के साथ बराबर का हिस्सा होने से तथा प्रतिवादी गलत रिकार्ड की आड़ में बेचान करने की धमकी देने से तथा वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं होने से पैदा हुआ है जो सावधि पेश है।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना में स्थित होने के कारण उक्त वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है
8. यह कि वाद घोषणात्मक खातेदारी हेतु कोर्ट फीस 1 रूपये रिकार्ड दुरुस्ती हेतु 1 रूपये व रथाई निषेधाज्ञा हेतु 1 रूपये नियत है इस प्रकार वाद पत्र कुल 3 रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान जी में पेश है।
9. यह कि प्रति० स० 18, 19, 20 से कुछ प्रतिवादीगण ने ऋण ले रखा है इसलिए पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० स० 21 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। तथा प्रति० स० 3 ल० 17 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है इनके विरुद्ध वादी कोई अनुतोष नहीं चाहात है।
10. यह कि वाद पत्र दो प्रतियों में पेश किया जा रहा है तथा वाद पत्र के साथ वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि के खाता स० 282 के ख० न० 387 रकबा 0.01 है० ख० न० 388 रकबा 5.91 है० ख० न० 40 रकबा 0.03 है० ख० न० 41 रकबा 1.91 है० ख० न० 702/41 रकबा 1.06 है० कुल किता 5 कुल रकबा 8.92 है० में प्रति० स० 1 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा तथा खाता स० 283 के ख० न० 269 रकबा 0.65 है० ख० न० 317 रकबा 1.25 है० ख० न० 318 रकबा 1.49 है० ख० न० 319 रकबा 1.58 है० ख० न०

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

323 रकबा 1.35 है0 खण्ड नं० 680 रकबा 1.66 है0 खण्ड नं० 681 रकबा 0.11 है0 खण्ड
नं० 684 रकबा 1.60 है0 खण्ड नं० 685 रकबा 2.40 है0 खण्ड नं० 687 रकबा 1.13 है0
खण्ड नं० 688 रकबा 0.74 है0 खण्ड नं० 689 रकबा 0.70 है0 खण्ड नं० 728/310 रकबा
1.24 है0 खण्ड नं० 880/284 रकबा 0.12 है0 कुल कित्ता 14 कुल रकबा 16.02 है0 में
प्रति० सं० 1 के नाम से दर्ज 1/16 हिस्से में से बादी का 1/3 हिस्सा यानि 1/48
हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल
दरासद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की
सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7, 8 की ओर से श्री अंकित यावव
एडवोकेट की ओर से बकालतनामा/इकबालिया जबाब दिनांक 20.06.2024 को पेश
किया गया। वकील बादी द्वारा निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 17 के
विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बहस के अनुसार, धापत्र, दस्तावेज, पर
कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के
अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं गहन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
जमाबंदी संवत् 2075-2078 बाके ग्राम कुहाडवास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 282,
283 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/16 हिस्से में से बादी का 1/3 हिस्सा
यानि 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिशे जाते है
वाद बादी स्वीकार कर अंतिम छिद्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

प्रति० सं० 1 ल० 7 व 9 की ओर से इकबालिया जबाब निम्नलिखित पेश है-

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 1 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 2 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 3 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 4 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 5 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 6 जिस भाति दर्ज है स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 7 बाबत सोत्राधिकार है जिसके उत्तर की आवश्यकता
नहीं है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 8 बाबत कोर्ट फीस है जिसके उत्तर क आवश्यकता
नहीं है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 9 स्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 10 स्वीकार है। अनुतोष स्वीकार है




उपखण्ड अतिथारी सुलतन
जिला सुलतन (राज.)

अतः इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनुतोष वादी स्वीकार है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9

1. दयानन्द पुत्र खेमाराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
2. मन्जू पुत्री दयानन्द पत्नी भूपेन्द्र जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज० हात आबाद हसार खुर्द तहसील बाढ़डा जिला चरखी दादरी हरि०
3. नरपाल पुत्र खेमाराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
4. चरण सिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
5. रूकमा पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
6. अजीत पुत्र हवासिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
7. बाई पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०
8. विकास पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज०

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 की ओर से श्री अंकित यादव एडवोकेट की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। शेष प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 17 की के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078, जमाबन्दी सम्वत 2045-2048, जमाबन्दी सम्वत 2049-2052, जमाबन्दी सम्वत 2053-2056, जमाबन्दी सम्वत 2057-2060, जमाबन्दी सम्वत 2061-2064, जमाबन्दी सम्वत 2065-2068, मुताबिक इकबालिया जवाब अनुसार, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू (राज.)

-:आदेश:-

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि के खाता स० 282 के ख० न० 387 रकबा 0.01 है० ख० न० 388 रकबा 5.91 है० ख० न० 40 रकबा 0.03 है० ख० न० 41 रकबा 1.91 है० ख० न० 702/41 रकबा 1.06 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 8.92 है० में प्रति० स० 1 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा तथा खाता स० 283 के ख० न० 269 रकबा 0.65 है० ख० न० 317 रकबा 1.25 है० ख० न० 318 रकबा 1.49 है० ख० न० 319 रकबा 1.58 है० ख० न० 323 रकबा 1.35 है० ख० न० 680 रकबा 1.66 है० ख० न० 681 रकबा 0.11 है० ख० न० 684 रकबा 1.60 है० ख० न० 686 रकबा 2.40 है० ख० न० 687 रकबा 1.13 है० ख० न० 688 रकबा 0.74 है० ख० न० 689 रकबा 0.70 है० ख० न० 729/310 रकबा 1.24 है० ख० न० 880/284 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 14 कुल रकबा 16.02 है० में प्रति० स० 1 के नाम से दर्ज 1/16 हिस्से में से वादी का 1/3 हिस्सा यानि 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किये जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "



(सुमन देवी I)
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 12.5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 8 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुझुनु (राज)

पीठासीन अधिकारी-

राजस्व वाद सं.- 51/2023

सुमन देवी II, अपर एएस

जीसीएनएस नम्बर :- 2023/105

मन्जीत कुमार बनान टायानन्द अदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-निर्णय-

वादी की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 की ओर से श्री अंकित यादव एडो की उपस्थिति में प्रत्येक प्रतिवादीगण की अनुमति में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निष्पत्ती के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना जिला झुझुनु राज० में स्थित मुनि के खाता सं० 282 के ख० न० 387 रकबा 0.01 है० ख० न० 388 रकबा 5.91 है० ख० न० 40 रकबा 0.03 है० ख० न० 41 रकबा 1.91 है० ख० न० 702/41 रकबा 1.08 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 8.92 है० में प्रति० सं० 1 के 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि 1/12 हिस्सा तथा खाता सं० 283 के ख० न० 289 रकबा 0.85 है० ख० न० 317 रकबा 1.25 है० ख० न० 318 रकबा 1.49 है० ख० न० 319 रकबा 1.58 है० ख० न० 323 रकबा 1.35 है० ख० न० 680 रकबा 1.66 है० ख० न० 681 रकबा 0.11 है० ख० न० 684 रकबा 1.60 है० ख० न० 686 रकबा 2.40 है० ख० न० 687 रकबा 1.13 है० ख० न० 688 रकबा 0.74 है० ख० न० 689 रकबा 0.70 है० ख० न० 729/310 रकबा 1.24 है० ख० न० 880/284 रकबा 0.12 है० कुल कित्ता 14 कुल रकबा 18.02 है० में प्रति० सं० 1 के नाम से दर्ज 1/16 हिस्से में से वादी का 1/3 हिस्सा यानि 1/48 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्या डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12.12.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सुमन देवी II

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना